न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 62 / 2022
(GCMS 2022/219)(212937421343509)

श्री साहबराम विद्यार्थी आरटीआई कार्यकर्ता निवासी वार्ड नम्बर 19, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94132-32806)

बनाम

तहसीलदार एवं उपपंजीयन कार्यालय, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री साहबराम विद्यार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी श्री साहबराम विद्यार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तहसीलदार एवं उपपंजीयन कार्यालय, सादुलशहर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2022 को पेश किया था। तहसीलदार एवं उपपंजीयन कार्यालय, सादुलशहर ने अपीलार्थी को आज दिनांक तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए अपीलार्थी ने तहसीलदार एवं उपपंजीयन कार्यालय, सादुलशहर पर हर्जाना लगाने एवं उसके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री साहबराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.09.2022 के द्वारा निम्न सूचना चाही थी:

तहसील कार्यालय व उपपंजीयन विभाग में श्रीमती कान्ता खीचड, अध्यक्ष नगरपालिका, सादुलशहरा द्वज्ञरा मार्च 31 2021 से लेकर 31 जुलाई 2022 क उनके हस्ताक्षरों के कितने वारिसनामें में कितने सदस्य प्रमाण [illegible] कितने उत्तराधिकारी यानि कुल कितने प्रमाणपत्र जारी किये [illegible] उन सभी की प्रमाणित कॉपी दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:19:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार एवं उप पंजीयक, सादुलशहर ने अपने पत्र क्रमांक पंजीयन/2022/137 दिनांक 07.10.2022 से अपील का जवाब निम्नानुससार प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी साहबराम विद्यार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र जरिये श्रीमानजी के कार्यालय से दिनांक 22.08.2022 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसमें अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित सूचना मांगी गई –
>
> ''तहसील कार्यालय व उप पंजीयन विभाग में श्रीमती कान्ता खिचड़, अध्यक्ष नगरपालिका सादुलशहर द्वारा मार्च 31–2021 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक उनके हस्ताक्षरों के कितने उत्तराधिकारी यानि कुल कितने प्रमाण पत्र जारी किये हुए आपके उप पंजीयन व तहसील कार्यालय में प्राप्त हुए है। उन सभी की प्रमाणित कॉपी दी जावे।''
>
> श्रीमान्जी उप पंजीयक कार्यालय में रिकॉर्ड का संधारण दिनांकवार होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया गया कि प्रमाण पत्र तहसील एवं उप पंजीयन कार्यालय में कौनसी दिनांक को प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र में दिनांक नहीं होने पर भी **अपीलार्थी को कार्यालय रिकॉर्ड में तलाश किया जाकर 05 प्रमाण पत्रों की प्रति निर्धारित शुल्क जमा करवाकर दिनांक 16.09.2022 को उपलब्ध करवा दी गई,** जिसमें अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करते समय कार्यालय प्रति में प्राप्ति हस्ताक्षर करते हुए लिखा गया कि ''मैने जो सूचना मांगी थी वह पूरी नहीं दी है। आधी अधूरी है।''
>
> **संलग्न : उपरोक्तानुसार।**
>
> Signature Not Verified
>
> Digitally signed by Lok Bandhu
> Date: 2024.05.13 12:19:38 IST
> Reason: SelfAttested
>
> ([illegible])
> तहसीलदार एवं उप पंजीयक
> सादुलशहर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि तहसीलदार एवं उप पंजीयक, सादुलशहर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और प्रार्थी को भी अपने पत्रांक 129 दिनांक 16.09.2022 द्वारा सूचना दी जा चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी** चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, **किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इस प्रकार तहसीलदार एवं उप पंजीयक, सादुलशहर द्वारा अपील का जो जवाब दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार एवं उप पंजीयक, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:19:38 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर